रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2012/आश्विन 19, 1934
No. 224] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2012/ASVINA 19, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2012

सं. एल-7/143/158/2012-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2009 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः

"(छ) **'आर्थिक अपराध'** से आर्थिक अपराध (परिसीमा का लागू न होना) अधिनियम, 1974 (1974 का 2) की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी परिनियम के अधीन अपराध अभिप्रेत है;"

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ट) **'अंतर-राज्यिक व्यापार'** से किसी एक राज्य से किसी अन्य राज्य को पुनः विक्रय के लिए विद्युत का क्रय अभिप्रेत है जिसमें लागू विधियों के अनुपालन तथा समुचित प्राधिकारियों द्वारा निकासी के अधीन रहते हुए, भारत के भीतर पुनः विक्रय के लिए किसी अन्य देश से आयातित विद्युत या किसी अन्य देश को निर्यातित विद्युत सम्मिलित है।"

(3) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उप-खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया उपखंड (i) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(टi) **'अंतःराज्यिक व्यापार'** से उसी राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर पुनः विक्रय के विद्युत का क्रय अभिप्रेत है।"

(4) मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (1) के उपखंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ड) 'अनुज्ञप्तिधारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई हो:

"परन्तु यह कि यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा प्रदत्त अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति पर आधारित अंतर-राज्यिक व्यापार आरंभ करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी को इन विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विनियमित किया जाएगा, जो अंतःराज्यिक व्यापार पर संबंधित राज्य आयोग द्वारा विर्निदिष्ट किन्हीं विनियमों के अतिरिक्त होगा तथा उसके अल्पीकरण में नहीं होगा;"

3. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

परन्तु यह है कि आवेदक अपने संवैधानिक/संगठनात्मक दस्तावेजों जैसे संगम-ज्ञापन के मुख्य उद्देश्य (कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन समामेलित कंपनी की दशा में) या भागीदारी विलेख (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1952 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी की दशा में) या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के संवैधानिक दस्तावेजों के अनुसार विद्युत में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए ।

(2) मूल विनियम के विनियम 3 के खंड के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"3 पूंजी पर्याप्तता तथा उधारपात्रता अपेक्षाएं:
(क) अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के आधार पर आवेदक द्वारा प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक तथा अंतःराज्यिक व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए,

आवेदन की तारीख को आवेदक का न्यूनतम नेटवर्थ (शुद्धधन),आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र के अनुसार विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगा:

व्यापार अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	वर्ष में व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा जिसमें अंतर-राज्यिक व्यापार भी है, जहां-कहीं लागू हो	न्यूनतम शुद्धधन (रू. करोड़ में)
प्रवर्ग- I	कोई सीमा नहीं	50.00
प्रवर्ग- II	1500 एमयू से अधिक नहीं	15.00
प्रवर्ग- III	500 एमयू से अधिक नहीं	5.00
प्रवर्ग- IV	100 एमयू से अधिक नहीं	1.00

(ख) आवेदक को हर समय इस खंड में यथाविनिर्दिष्ट शुद्धधन को बनाए रखा जाना अपेक्षित होगा:

परन्तु यह कि यदि विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी को अंतर-राज्यिक व्यापार के आधार पर, 2012-13 के दौरान आरंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित अंतर-राज्यिक तथा अंतःराज्यिक व्यापार की मात्रा पर आधारित किसी विशिष्ट प्रवर्ग की नेटवर्थ अपेक्षा को धारित करने की आवश्यकता होती है तो अनुज्ञप्तिधारी 15 नवम्बर, 2012 तक 2012-13 के दौरान व्यापार किए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत की मात्रा के बारे में जानकारी देगा जो 31 अगस्त, 2012 तक विशेष तुलनपत्र द्वारा समर्थित होगा ।

(ग) आवेदक के पास आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र की तारीख को न्यूनतम 1:1 का लिक्विटडी अनुपात होगा ।

टिप्पणः इस विनियम में विनिर्दिष्ट नेटवर्थ तथा वर्तमान और लिक्विटडी अनुपात की संगणना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विहित वित्तीय रिर्पोटिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार संपरीक्षित तुलनपत्र के आधार पर की जाएगी ।

4. मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ग) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में यथाउल्लिखित कारणों के लिए आयोग द्वारा आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक की अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया गया हो तथा ऐसे रद्दकरण की तारीख से न्यूनतम तीन वर्ष न हुए हों; या"

(2) मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ड.) जहां आवेदक, या उसके किसी सहयुक्त या भागीदार, या संप्रवर्तक, या निदेशक अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपनियमों या आयोग द्वारा किए गए आदेश के उपबंधों के अनुपालन के लिए किसी कार्यवाही में पहले कभी दोषी पाए गए हों वहां आवेदक ऐसी तारीख से, जिससे समुचित आयोग के आदेश द्वारा अननुपालन साबित हो गया हो, तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से वर्जित हो जाएगा:

परन्तु यह और कि इस खंड के अधीन विनिर्दिष्ट अनहर्ता की अवधि आयोग द्वारा ऐसे अनुपालन की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, संगणित की जाएगी ।"

(3) मूल विनियम के विनियम 4 में नया खंड (च) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"आवेदक या उसके पश्चात् की तारीख को यदि अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंधों का या आयोग के आदेश के अननुपालन के लिए आवेदक के विरूद्ध कोई कार्यवाही आरंभ की गई है, तो आवेदन पर कार्यवाहियों के अंतिम निपटान के पश्चात् ही विचार किया जाएगाः

परन्तु यह कि जहां आवेदक को कार्यवाही में अननुपालन का दोषी पाया जाता है तो वहां आवेदन पर इस विनियम के खंड (ड.) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।"

5. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (1) के उप-खंड के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(क) ऐसी फीस, जो समय-समय पर,केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए और जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 या उसके किसी पश्चात्वर्ती अधिनियमन में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से संदेय होगी ।"

(2) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (1) के उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन समामेलित व्यक्तियों की दशा में वार्षिक रिर्पोटों की प्रतियां तथा निदेशक की रिपोर्ट सहित संपरीक्षित लेखे, संपरीक्षा रिपोर्ट, उस वर्ष, जिसमें आवेदन किया गया है, के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के लेखाओं संबंधी अनुसूचियों तथा टिप्पणों तथा आवेदन करने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती 30 दिनों के भीतर आने वाले किसी तारीख के विशेष तुलनपत्र ।"

(3) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (4) के उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(i) आवेदन के साथ संलग्न संपरीक्षित विशेष तुलनपत्र की तारीख को आवेदक का नेटवर्थ, वर्तमान अनुपात तथा नकद अनुपात ।"

(4) मूल विनियम के विनियम 6 के खंड (4) के उपखंड (ध) के पश्चात्, नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(न) आवेदक के पास अंतःराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति होने की दशा में, शपथपत्र पर एक विवरण तथा उक्त अनुज्ञप्ति के अनुसार (मिलियन यूनिट में) व्यापार की मात्रा के ब्यौरे ।"

6. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (ख) के दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के उच्चतर प्रवर्ग या निम्नतर प्रवर्ग के लिए अपेक्षित फीस के साथ आवेदन कर सकेगा यदि वह ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने लिए इन विनियमों की शर्तों को पूरा करता है किन्तु उसे इस विनियमों के विनियम 6 में विर्निदिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर विनिश्चय करने से पूर्व आयोग द्वारा सुनवाई की जाएगी ।"

(2) मूल विनियम के विनिमय 7 के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"परंतु यह कि जहां इन विनियमों के विनियम 8 के खंड (3) के अनुसार की गई विनियामक संपरीक्षा के आधार पर, यह साबित हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 में विर्निदिष्ट सीमा से अधिक व्यापार मार्जिन प्रभारित किया है, वहां आयोग अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी दर पर, जो आयोग द्वारा विर्निर्दिष्ट किया जाए, ब्याज सहित अधिक मार्जिन वापस करने का निदेश दे सकेगा ।"

(3) मूल विनियम 7 के खंड (ड.) में "अनुज्ञप्ति फीस का नियमित संदाय" शब्दों के पश्चात् "अनुबद्ध तारीख तक" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(4) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (त) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(त) अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा किए गए सभी व्यापार संव्यवहारों का पृथक रूप से अंतर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति तथा पावर एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए संव्यवहारों के आधार पर, ओटीसी अंतर-राज्यिक संव्यवहारों, ओटीसी अंतःराज्यिक संव्यवहारों का अद्यतन अभिलेख बनाए रखेगा ।"

(5) मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (द) के पश्चात्, तीन नए खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्:

"(ध) अनुज्ञप्तिधारी नेटवर्क में किसी परिवर्तन की रिपोर्ट आयोग को शीघ्र किंतु एक माह से अन्यून के भीतर देगा, जो उस प्रवर्ग, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, में बने रहने के लिए अपात्र बनाती है ।

(न) अनुज्ञप्तिधारी आयोग की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपनी अनुज्ञप्ति को किसी भी रीति से अंतरित या समनुदेशित नहीं करेगा:

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति को ऐसे व्यक्ति को समनुदेशित कर सकेगा जो वह इन विनियमों के विनियम 3 तथा विनियम 4 की शर्तों को पूरा करता है:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष समुचित आवेदन फाइल करेगा जिसमें उस व्यक्ति के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे जिसे अनुज्ञप्ति अंतरित या समनुदेशित किए जाने का प्रस्ताव है, इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारित करने की पात्रता तथा प्रस्तावित अंतरिती या समनुदेशिती से इस आशय का एक शपथपत्र अंतर्विष्ट होगा कि वह अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों द्वारा आबद्ध होगा तथा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का तथा आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी आदेशों का अनुपालन करेगा:

3873 GI/12-2

परन्तु यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी से अपनी अनुज्ञप्ति के अंतरण या समनुदेशन के लिए अपने आवेदन के बारे में दो समाचार पत्रों में, जो दिल्ली के अलावा पांच क्षेत्रों में प्रकाशित हो, एक साथ प्रकाशित करने की अपेक्षा की जाएगी तथा तीस दिन के भीतर सुझाव/आपत्तियां, यदि कोई हों, के प्रत्युत्तर के साथ प्रकाशन की प्रतियां प्रस्तुत करेगा ।

(प) अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारियों में से एक अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगा जो आयोग के साथ पत्राचार करने के लिए नोडल अधिकारी होगा जो अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों, अधिनियम तथा आयोग के विनियमों के उपबंधों से संबंधित सभी मामलों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा । अनुज्ञप्तिधारी के पास इन विनियमों के अधीन अपने कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन करने के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पर्याप्त स्वतंत्रता तथा शक्तियां होंगी ।"

7. मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (1) के उपखंड (ड.) में "लेखांकन विवरणों" शब्दों के स्थान पर, "संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (2) के पश्चात्, एक नया खंड (3) जोड़ा जाएगा, अर्थातः

"(3) आयोग, यदि आवश्यक समझे, अधिनियम की धारा 128 के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन की जांच के लिए विनियामक संपरीक्षा करने हेतु संपरीक्षाओं और/या विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा तथा ऐसे मामलों में, संपरीक्षा की लागत, आयोग द्वारा संदत्त की जाएगी और जिसे अनुज्ञप्तिधारी से वसूला जाएगा ।"

8. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः

"(ख) पावर एक्सचेंजों के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार अंतःराज्यिक व्यापार, दीर्घ-कालिक व्यापार, क्रास सीमा व्यापार तथा बैंकिग संव्यवहार की बाबत प्ररूप IV-क, IV-ख,IV-ग, IV-घ, IV-ड., IV-च, IV-छ, तथा IV-ज में पृथक रूप मासिक जानकारी देगा ताकि वह उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन के पूर्व आयोग के पास पहुंच सकेः

परन्तु यह कि आयोग को भेजी गई जानकारी उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन तक अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर डाली जाएगी तथा वेबसाइट पर ऐसी रिपोर्ट दो वर्ष से अन्यून के लिए उपलब्ध रहेगी ।"

(2) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ख) के पश्चात्, तीन नए खंड जोड़े जाएंगे तथा उन्हें खंड (खक), खंड (खख), खंड (खग) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा अर्थातः

"(खक) जोखिम मानीटरिंग प्रयोजन के लिए प्रारूप IV-I के अनुसार ओपन स्थिति रिपोर्ट करेगाः

परन्तु ऐसी जानकारी को उसकी वाणिज्यिक संवेदनशीलता पर विचार करते हुए, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा ।

(खख) आगामी सप्ताह के मंगलवार तक प्ररूप IV-ज के अनुसार साप्ताहिक आधार पर ओटीसी संविदा संबंधी जानकारी देगा ।

(खग) संव्यवहार की गई मात्रा (एमयू तथा रूपए में) की कुल मात्रा के ब्यौरें सहित अंतर-राज्यिक संव्यवहार तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन, अंतःराज्यिक संव्यवहार से संव्यवहारित की गई कुल मात्रा (एमयू तथा रूपयों में), पावर एक्सचेंज पर संव्यवहार की गई कुल मात्रा तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन, किए गए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की कुल संव्यवहार मात्रा तथा उस पर प्रभारित कुल व्यापार मार्जिन तथा उपरोक्त प्रवर्गों में विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संपूर्ण सूची, जो प्रत्येक वर्ष के 31वीं मई तक चार्टर्ड लेखाकार तथा लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित होगी, का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगाः

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त जानकारी को, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010 के अनुपालन के लिए प्ररूप IV-क, IV-ख,IV-ग, IV-च, IV-छ, तथा IV-ज के अनुसार संव्यवहार-वार जानकारी के प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूत प्रभाव डाले बिना, प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ग) में "अंतर-राज्यिक" शब्दों के पश्चात् "और अंतःराज्यिक" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(4) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (ग) के पश्चात्, एक नया खंड (गक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः

"(गक) इस विनियम के खंड (ख) से (खग) के अधीन यथा अपेक्षित जानकारी अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहारों की मानीटरिंग के प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 14 में यथापरिभाषित समझे गए व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।"

(5) मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (घ) अधीन एक नया उपखंड (v) जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः

"(v) जहां अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध किसी विधि के अधीन तात्विक भंग के लिए किसी न्यायालय में या अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अतिलंघन या आयोग या राज्य आयोगों के आदेशों तथा निदेशों के अननुपालन के लिए समुचित आयोग के समक्ष कोई कार्यवाही संस्थित की गई हो ।"

9. मूल विनियम के विनियम 10 संशोधनः

मूल विनियम के विनियम 10 के खंड (2) के पश्चात्, एक नया खंड (3) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(3) अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाइट पर (i) मासिक आधार पर अंतर-राज्यिक तथा अंतःराज्यिक व्यापार की मात्रा, यदि कोई हो; (ii) उसके द्वारा धारित व्यापार अनुज्ञप्तियां; (iii) आयोग के समक्ष फाइल की गई याचिकाएं तथा उसके ग्राहकों के लिए जानकारी देने को सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा जारी आदेश, जिसमें अंतरिम आदेश भी है, यदि कोई हो, डालेगा ।"

10. मूल विनियम के विनियम 14 का संशोधनः

(1) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (छ) के परंतुकों को हटा दिया जाएगा ।

(2) मूल विनियम के विनियम 14 के खंड (1) के उपखंड (छ) के पश्चात् एक नया उपखंड (ज) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"(ज) जहां अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के अनुसार देय तारीख तक फीस या उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा अपेक्षित अन्य प्रभारों या आयोग द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति का संदाय करने में असफल हो गया हो ।"

(3) मूल विनियम के विनियम 14 के विद्यमान खंड (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(2) यदि आयोग का, जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि खंड (1) में यथाउल्लिखित प्रतिसंहरण के लिए कोई भी आधार मौजूद है तथा लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है तो आयोग ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जो समचित समझे जाएं, के अधीन रहते हुए,अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा :

परन्तु यह कि आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी को वह आधार, जिस पर अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने का प्रस्ताव किया गया, बताते हुए तीन मास के अन्यून की सूचना दी हो तथा प्रस्तावित प्रतिसंहृत के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी की सूचना अवधि के भीतर बताए गए कारण पर विचार किया होः

परन्तु यह और कि आयोग अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के बजाय, अनुज्ञप्ति को ऐसे ओर निबंधन तथा शर्तों, जो आयोग अधिरोपित करने के लिए समुचित समझे, के अधीन रहते हुए, पुनः प्रवृत्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा, तथा इस प्रकार अधिरोपित अतिरिक्त निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तें समझी जाएंगी और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होंगी ।

(3) जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के लिए आवेदन करता है, वहां आवेदन में निम्नलिखित जानकारी तथा दस्तावेज अंतर्विष्ट होंगेः

(क) प्रतिसंहृत करने के कारण;

(ख) इस आशय का एक शपथपत्र कि अनुज्ञप्तिधारी ने उस वर्ष, जिस वर्ष प्रतिसंहरण के लिए आवेदन किया गया है, के लिए अनुज्ञप्ति फीस जमा कर दी है, और यह कि अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध अननुमोचित दायित्व नहीं है, यह कि उस विद्युत के व्यापार के लिए कोई प्रचालनात्मक संविदाएं नहीं है जिसके लिए आवेदक उक्त आवेदन को फाइल करते समय एक पक्षकार है;

(ग) इस आशय का एक शपथपत्र कि आवेदक ने अपनी वेबसाइट में पूरा आवेदन डाल दिया है तथा आयोग द्वारा आवेदन को निपटाए जाने तक उसे अपनी वेबसाइट में डाले रखेगा ।

(घ) ऐसे दस्तावेजे दर्शित करेगा कि अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिसंहरण के लिए अपने आवेदन के बारे में दो दैनिक समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित की है जिसका परिचालन दिल्ली में प्रकाशित करने के अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में हो तथा जिसमें इस इकोनॉमिक समाचर पत्र भी है ।

(4) जहां आयोग का खंड (3) के अनुसार किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है, तो वहां आयोग ऐसे निबंधनों तथा शर्तों, जैसा वह समुचित समझे, पर संपूर्ण या व्यापार के किसी क्षेत्र के भाग के लिए अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करेगा ।

(5) जहां अनुज्ञप्ति इस विनियम के खंड (2) तथा खंड (4) के अधीन प्रतिसंहृत की जाती है, वहां आयोग अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिसंहरण की सूचना की तामील करेगा तथा ऐसी तारीख नियत करेगा जिससे प्रतिसंहरण प्रभावी होगा ।"

11. मूल विनियम में नए अध्याय का अंतःस्थापनः

(1) विद्यमान अध्याय 5 के पश्चात्, एक नया अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः

"अध्याय-5क

उल्लंघन तथा शास्तियाँ

(2) अध्याय 5क के अधीन तीन नए विनियम जोडे जाएंगे, अर्थात्ः

"14क. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन

(1)अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन तथा आयोग के आदेशों के अननुपालन को दो प्रवर्गों जैसे गंभीर उल्लंघन तथा गैर-गंभीर उल्लंघन के रूप में समूहित किया जाएगा ।

(2) गंभीर उल्लंघनों में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः

(क) अधिनियम, नियम तथा आयोग द्वारा विर्निदिष्ट विनियमों का अतिलंघन और अननुपालन, विशेषकर, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्ते तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार मार्जिन का नियतन) विनियम, 2010, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्य कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012, केन्द्रीय

विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बाजार) विनियम, 2010 तथा समय-समय पर यथासंशोधित तथा उसके किसी पश्चात्वर्ती संशोधन;

(ख) मासिक रिपोर्ट में संव्यवहार की मात्रा को जानबूझकर कम दिखाया जाना;

(ग)आयोग के आदेशों का अननुपालन, जिसमें आयोग के किसी भी विनियम के उल्लंघन के लिए जारी आदेश भी हैं;

(घ)अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए गैर-गंभीर उल्लंघनों का जानबूझकर, बार-बार तथा लगातार अतिलंघन ।

(ड.)केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 में यथाविर्निदिष्ट देय तारीख के भीतर अनुज्ञप्ति फीस तथा अधिभार, यदि लागू हो, का असंदाय ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्नलिखित उल्लंघनों को गैर-गंभीर उल्लंघन समझा जाएगाः
(क) इस विनियम के खंड (2) के उपखंड (क) में उल्लिखित किन्हीं भी विनियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षित किसी रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना तथा उसमें विलंब ।
(ख) विनियम 9 के खंड (ख) के अधीन मांगी गई मासिक संव्यवहार जानकारी को प्रस्तुत करने में विलंब ।
(ग) आयोग द्वारा मांगी गई किसी अन्य जानकारी को प्रस्तुत करने में विलंब ।
(घ) अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर इन विनियमों के विनियम 9 के खंड (ख) के परंतुक के अनुसार आज्ञापक प्रकटन तथा बार-बार रिपोर्टिंग करने में असफलता ।

14ख. उल्लंघनों पर संज्ञान लेने की प्रक्रियाः
(1) आयोग, अपने पास उपलब्ध जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह कि विनियम 14क के किसी भी उपबंध के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला बनता है, यह समाधान हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध स्वप्रेरणा कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी जानकारी तथा स्पष्टीकरण देने का निदेश दे सकेगा जो कार्यवाही के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएः

परन्तु यह कि यदि अनुज्ञप्तिधारी केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2012 के अनुसार संदाय की देय तारीख की समाप्ति के सात दिन के भीतर फीस तथा अधिभार, यदि कोई हो, को जमा करने में असफल होता है तो फीस का संदाय न करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी तथा सात दिन की अवधि को इस विनियम के अधीन नोटिस समझा जाएगाः

परन्तु यह और कि संदाय की देय तारीख के सात दिन की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्ति निलबिंत समझी जाएगी तथा तब तक निलंबित रहेगी जब तक फीस और अधिभार, यदि कोई हो, का संदाय नहीं किया जाता है या विलंबन वापस नहीं लिया जाता है ।

(2)अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(3) शास्तियां, यदि कोई हो, इन विनियमों के विनियम 14ग के अनुसार अधिरोपित की जाएंगी।

14ग. उल्लंघन तथा अननुपालन के लिए शास्तियां:

(1) जहां अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध गंभीर उल्लंघनों का आरोप साबित हो जाता है वहां आयोग,

(क) यह निदेश दे सकेगा कि प्रत्येक उल्लंघन के लिए अनुज्ञप्तिधारी शास्ति के रूप में एक लाख से अनधिक की राशि का संदाय करेगा;

और/या

(ख) अनुज्ञप्तिधारी को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक बाजार या मध्यकालिक बाजार या पावर एक्सचेंजों में व्यापार करने से वर्जित कर सकेगा; या

(ग) एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विद्युत में व्यापार करने वाली अनुज्ञप्ति को निलंबित कर सकेगा; या

(घ) अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा; या

(ड.) ऐसे अन्य निदेश जारी कर सकेगा या ऐसी अन्य शर्ते अधिरोपित कर सकेगा, जो आयोग समुचित समझेः .

परन्तु यह कि विवर्जन या निलंबन की दशा में, यथास्थिति, एनएलडीसी या संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी अनुज्ञप्तिधारी के संव्यवहारों की बाबत विद्युत में अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के बारे में समुचित कार्रवाई करेंगे ।

(2) जहां अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध गैर-गंभीर उल्लंघन का आरोप साबित हो जाता है, वहां आयोग;

(क) अनुज्ञप्तिधारी को मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, चेतावनी दे सकेगा जो वह उचित समझे; या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप से एक लाख से अनधिक की राशि का संदाय करेगा; या

(ग) ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा या ऐसी अन्य शर्ते अधिरोपित कर सकेगा जो आयोग समुचित समझे ।

12. मूल विनियम के अध्याय VI का अंतःस्थापनः

(1) "अध्याय VI" को "अध्याय 6" के रूप में पुनःनामित किया जाएगा ।

(2) मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (1) के अधीन सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:

अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग (तारीख 6.4.2004 की अधिसूचना के अनुसार)	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग (तारीख 24.2.2009 की अधिसूचना के अनुसार)	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग (तारीख 7.6.2010 की अधिसूचना के अनुसार)
एफ (1000 एमयू से अधिक)	I (कोई सीमा नहीं)	I (कोई सीमा नहीं)
ई (700 से 1000 एमयू के बीच)		II (1500 एमयू से अधिक नहीं)
डी (500 से 700 एमयू के बीच)		

सी (200 से 500 एमयू के बीच)	II (500 एमयू से अधिक नहीं)	III (500 एमयू से अधिक नहीं)
बी (100 से 200 एमयू के बीच)		
ए (100 एमयू तक)	III (100 एमयू तक)	IV (100 एमयू से अधिक नहीं)

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/12/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 28 में तारीख 24-2-2009 को प्रकाशित किये गये थे तथा उनका निम्नानुसार संशोधन किया गया था :

(क) तारीख 2-6-2009 को, भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2009;

(ख) तारीख 23-10-2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 197 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009;

(ग) तारीख 7-6-2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खंड 4, संख्या 152 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने तथा अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन तथा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2010 ।

प्ररूप IV- क

3873 GI/12-4

व्यापार अनुज्ञप्तियों द्वारा विद्युत का अल्पकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार (आरटीसी*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नामः
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं. तथा तारीख):
मासः

क्र.सं.	ऊर्जा परिदान की अवधि		ऊर्जा परिदान का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			क्रय कीमत(रू/केडब्ल्यूएच)	विक्रय कीमत(रू/केडब्ल्यूएच)	व्यापार मार्जिन(रू/केडब्ल्यूएच)
	प्रारंभिक तारीख(दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे : मिनट	अंतिम समय		विक्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य			
क	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार													
1														
2														
3														
ख	स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार													
1														
2														
3														

*आरटीसी=चौबीस घंटे (24 घंटे 00.00 घंटे से 24.00 घंटे तक)

टिप्पण-(1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।

टिप्पण-(2) क्रेता/विक्रेता, जैसे उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक व्यापारी (जहां लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग को उपदर्शित करे ।

टिप्पण-(3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नाम, कानूनी जानकारी)

टिप्पण-(4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन तक आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा ।

टिप्पण-(5) आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किए जाएँगे अर्थात् सचिव, केविविआ को स्पष्ट प्रति, एक्सेल शीट में ईमेल के माध्यम से साफ्ट प्रति ।

टिप्पण-(6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

अल्प-कालिक संव्यवहार से

जहां विक्रेता तथा क्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि एक वर्ष तक हो ।

(क)

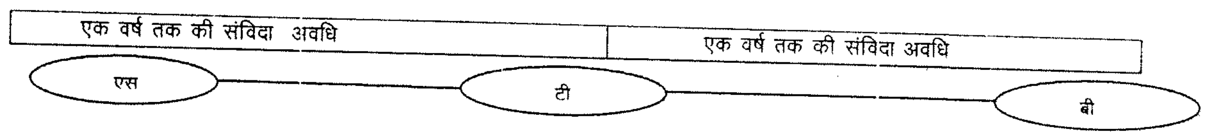

यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है ।

प्ररूप IV- ख

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों **द्वारा विद्युत के अल्पकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार** (पीक*)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नामः
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं. तथा तारीख):
मासः

क्र.सं.	ऊर्जा परिदान की अवधि		ऊर्जा परिदान का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			क्रय कीमत(रू/केडब्ल्यूएच)	विक्रय कीमत(रू/के डब्ल्यूएच)	व्यापार मार्जिन(रू/के डब्ल्यूएच)
	प्रारंभिक तारीख(दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे : मिनट)	अंतिम समय (घंटे : मिनट)		विक्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य			
अ	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार													
1														
2														
3														
आ	स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार													
1														
2														
3														
ई	सीमा पार संव्यवहार													
1														
2														
3														

*पीक =पीक अवधि (17.00घंटे से 23.00 घंटे से सांय पीक) । पीक अवधि आयोग द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी ।
टिप्पण-(1) आंकड़ो को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।
टिप्पण-(2) क्रेता/विक्रेता, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक,वाणज्यिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, व्यापारी (जब लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग उपदर्शित करें ।
टिप्पण-(3) आंकड़ो को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नामः कानूनी जानकारी)
टिप्पण-(4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन को आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा ।
टिप्पण-(5) आंकड़ो को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव, केविविआ को स्पष्ट प्रति तथा ईमेल द्वारा एक्सल शीट में साफ्ट प्रति ।
टिप्पण-(6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।
अल्प-कालिक संव्यवहार से
जहां विक्रेता तथा क्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष तक हो ।

(क)

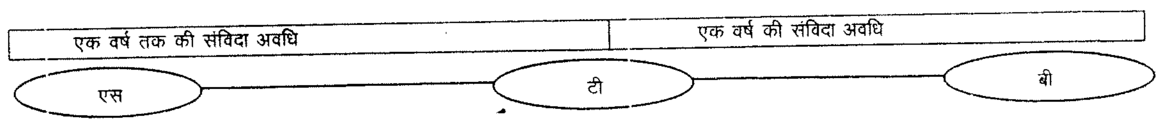

यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है ।

प्ररूप IV- ग

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार (पीक तथा आरटीसी से भिन्न)

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नामः
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं. तथा तारीख):
मास:

क्र.सं.	ऊर्जा परिदान की अवधि		ऊर्जा परिदान का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			क्रय कीमत(रू/केडब्ल्यूएच)	विक्रय कीमत(रू/के डब्ल्यूएच)	व्यापार मार्जिन(रू/के डब्ल्यूएच)
	प्रारंभिक तारीख(दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख(दिन/मास/वर्ष)	प्रारंभिक समय (घंटे : मिनट	अंतिम समय (घंटे : मिनट		विक्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य			
अ	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार													
1														
2														
3														
आ	स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार													
1														
2														
3														
ई	सीमा पार संव्यवहार													
1														
2														
3														

टिप्पण-(1) आंकड़ो को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।
टिप्पण-(2) क्रेता/विक्रेता, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक,वाणज्यिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, व्यापारी (जब लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग उपदर्शित करे ।
टिप्पण-(3) आंकड़ो को विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य प्राधिकृत वेबसाइट पर डाला जाएगा (होम पृष्ठ पर लिंक का नागः कानूनी जानकारी)
टिप्पण-(4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन को आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा ।
टिप्पण-(5) आंकड़ों को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव, केविविआ के स्पष्ट प्रति तथा ईमेल द्वारा एक्सल शीट में साफ्ट प्रति ।
टिप्पण-(6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।
अल्प-कालिक संव्यवहार से
जहां विक्रेता तथा क्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष तक हो ।

(क)

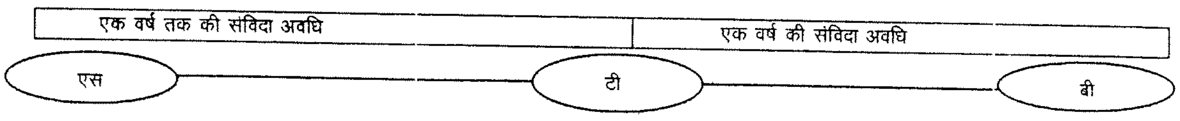

यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है ।

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के दीर्घ-कालिक अंतर-राज्यिक संव्यवहार

प्ररूप IV- घ
व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नामः
अनुज्ञप्ति के ब्यौरे (सं. तथा तारीख):
मासः

क्र.सं.	ऊर्जा परिदान की अवधि		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय			निम्नलिखित को विक्रीत			विक्रय कीमत(रू/केडब्ल्यू एच)
	प्रारंभिक तारीख (दिन/ मास/वर्ष)	अंतिम तारीख (दिन/ मास/वर्ष)		विक्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य	क्रेता का नाम	प्रवर्ग	राज्य	
अ	अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार									
1										
2										
3										
आ	स्वैपिंग या बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अंतर-राज्यिक व्यापार संव्यवहार									
1										
2										
3										
ई	सीमा पार संव्यवहार									
1										
2										
3										

टिप्पण-(1) आंकड़ों को संव्यवहार-वार प्रस्तुत किया जाएगा तथा एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए ।
टिप्पण-(2) क्रेता/विक्रेता, अर्थात् उत्पादक, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार, औद्योगिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, वाणज्यिक निर्बाध पहुंच ग्राहक, व्यापारी (जब लागू हो) आदि के नाम तथा प्रवर्ग उपदर्शित करे ।
टिप्पण-(3) आंकड़ों को विद्युत व्यापारी की वेबसाइट पर डाला जाएगा जिसमें (होम पृष्ठ पर लिंक का नामः कानूनी जानकारी होगी)
टिप्पण-(4) आंकड़ों को मासिक आधार पर आगामी मास के 15वें दिन आयोग, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा प्रादेशिक ऊर्जा समिति को भेजा जाएगा ।
टिप्पण-(5) आंकड़ों को आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा अर्थात् सचिव, केविविआ को स्पष्ट प्रति तथा ईमेल द्वारा एक्सल शीट में साफ्ट प्रति ।
टिप्पण-(6) क्रेता/विक्रेता के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों का पूर्ण रूप सारणी के अंत में दिया जाएगा ।

अल्प-कालिक संव्यवहार से

(क) जहां विक्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है ति विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है
(ख) जहां विक्रेता तथा क्रेता दोनों के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है
(ग) जहां विक्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष तक तथा विक्रेता के साथ 1 वर्ष से अधिक है ।

(क)

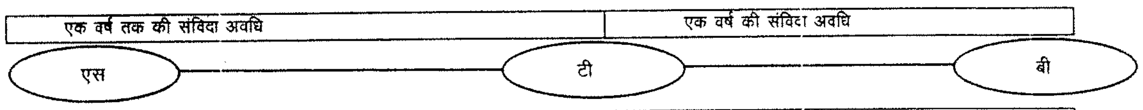

(ख)

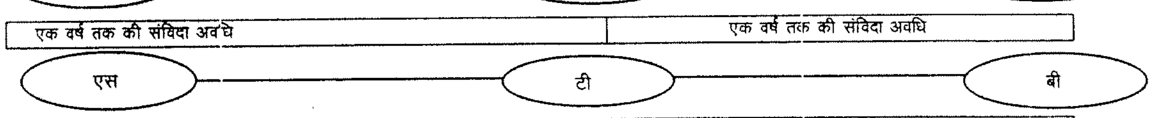

(ग)

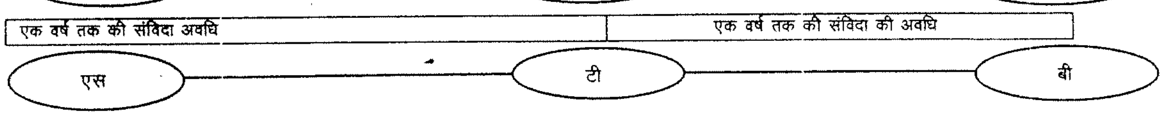

यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है ।

प्ररूप IV- ड.

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक अंतःराज्यिक संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारी का नाम
मास

क्रम सं.	कुल संव्यहारित मात्रा (एमयू)	राज्य
अल्प-कालिक संव्यवहार		
1		
2		
3		
4		
दीर्घ-कालिक संव्यवहार		
1		
2		
3		
4		

टिप्पण-(1) कुल संव्यहारित मात्रा का प्रत्येक राज्य के भीतर सभी संव्यवहारों की लिए योग किया जाएगा
टिप्पण-(2) इन संव्यवहारों के पक्षकारों के तथा कीमत की आवश्यकता नहीं है

अल्प-कालिक संव्यवहार से

(क) जहां अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि क्रेता तथा विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है

(क)

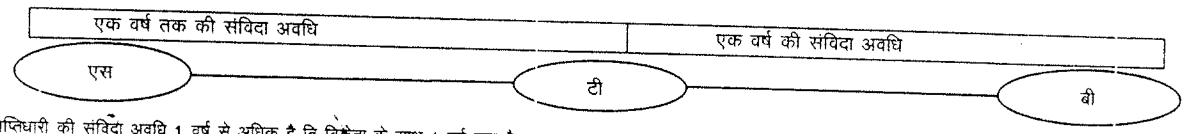

(क) जहां विक्रेता के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा अवधि 1 वर्ष से अधिक है ति विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक है
(ख) जहां विक्रेता तथा क्रेता दोनों के साथ अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है
(ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी की संविदा की अवधि विक्रेता के साथ 1 वर्ष तक तथा क्रेता के साथ 1 वर्ष से अधिक है ।

(क)

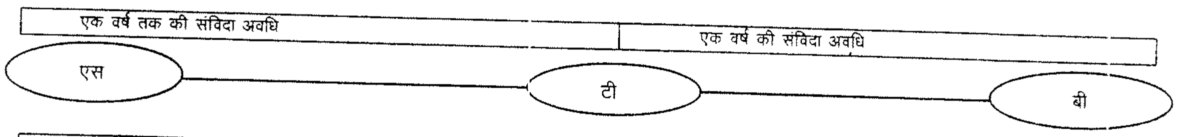

(ख)

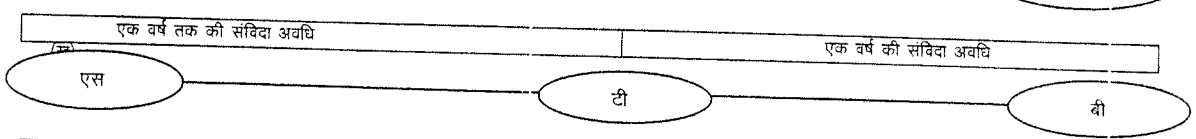

(ग)

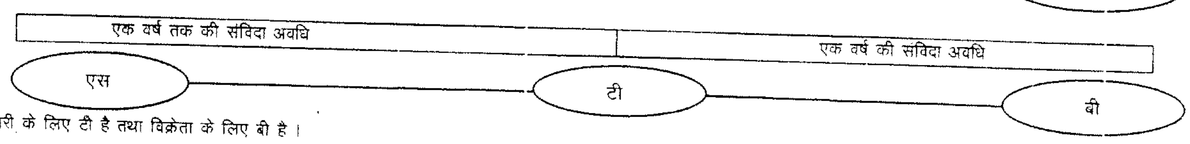

यहां विक्रेता के लिए एस है, व्यापारी के लिए टी है तथा विक्रेता के लिए बी है ।

प्ररूप IV- च

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के आगे के दिन के पावर एक्सचेंज संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नामः

मासः

क्रम सं.	परिदान की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	प्रत्येक ग्राहक के लिए कुल अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत	
			विक्रेता का नाम/पीएक्स का नाम	राज्य	विक्रेता का नाम/पीएक्स का नाम	राज्य
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

टिप्पणः प्रत्येक 15 मिनट संविदा के लिए व्यापार मार्जिन पृथक रूप से प्रभारित किया जाएगा । तथापि, आंकड़ों की वृहत मात्रा को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्टिंग दैनिक-वार आधार पर की जाएगी ।

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	आईइएक्स		पीएक्सआईएल	
		प्रभारित मार्जिन जब एमसीपी रू.3/केडब्ल्यूएच से कम हो या उसके बराबर हो(रू/केडब्ल्यूएच)	प्रभारित मार्जिन जब एमसीपी रू.3/केडब्ल्यूएच से अधिक हो (रू/केडब्ल्यूएच)	प्रभारित मार्जिन जब एमसीपी रू.3/केडब्ल्यूएच से कम हो या उसके बराबर हो(रू/केडब्ल्यूएच	प्रभारित मार्जिन जब एमसीपी रू.3/केडब्ल्यूएच से अधिक हो (रू/केडब्ल्यूएच)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

प्ररूप IV- छ

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत के आगे की अवधि के पावर एक्सचेंज के संव्यवहार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नामः
मासः

क्रम सं.	पावर एक्सचेंज का नाम (आईइएक्स/पीएक्सआइएल	ऊर्जा परिदान की अवधि		ऊर्जा परिदान का समय		अनुसूचित मात्रा (एमयू)	निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत		संव्यवहार कीमत (रू./केडब्ल्यू)	व्यापार मार्जिन (रू./केडब्ल्यू)
		प्रारंभिक तारीख (दिन/मास/वर्ष)	अंतिम तारीख(दिन/मास/वर्ष)	आरंभिक समय (घंटेःसमय)	अंतिम समय (घंटेःसमय)		विक्रेता का नाम	राज्य	क्रेता का नाम	राज्य		
क	दिन की संविदाएं (इंट्रा डे)											
1												
2												
3												
ख	आगे के दिन की आकस्मिक संविदाएं											
1												
2												
3												
ग	दैनिक संविदाएं											
1												
2												
3												
घ	साप्ताहिक संविदाएं											
1												
2												
3												

टिप्पणः पावर एक्सचेंज पर किसी अन्य संविदा को भी जब कभी वह आरंभ की गई हो, सम्मिलित किया जाना चाहिए ।

प्ररूप IV- ज

व्यापार अनुज्ञप्तिधारितयों द्वारा पावर एक्सचेंज पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) व्यापार

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नामः
व्यापार की तारीखः मास/दिन/वर्ष

क्रम सं.	आरईसी ग्राहक का नाम	ग्राहक का प्रकार (नवीकरणीय उत्पादक/बाधित इकाइयां)	पावर एक्सचेंज का नाम	मात्रा (आरईसी)	व्यापार समाशोधन कीमत (रू./आरईसी)	व्यापार मार्जिन (रू/केडब्ल्यूएच)
		गैर सौर आरईसी				
1						
2						
3						
4						
		सौर आरईसी				
1						
2						
3						
4						

टिप्पणः 1 आरईसी =1 एम डब्ल्यू एच

प्ररूप IV-I

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अंतर-राज्यिक विद्युत संविदाओं की खुली स्थिति

व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के नामः
मासः

व्यापारी की दीर्घ-कालिक स्थिति (क्रय किन्तु जो विक्रीत नहीं है)				
क्रम सं.	संविदा की अवधि (दिन/मास/वर्ष)	असंविदागत अवधि (खुली स्थिति) दिन/मास में	असंविदागत मात्रा (एमयू)	क्रय कीमत (रू./केडब्ल्यूएच)*
1				
2				
3				
4				

व्यापारी की अल्प-कालिक स्थिति (विक्रय जो क्रय नहीं हो				
क्रम सं.	संविदा की अवधि (दिन/मास/वर्ष)	असंविदागत अवधि (खुली स्थिति) दिन/मास में	असंविदागत मात्रा (एमयू)	क्रय कीमत (रू./केडब्ल्यूएच)*
1				
2				
3				
4				

टिप्पणः
1. खुली प्रास्थिति रिपोर्ट को मास के अंत में पंद्रहवें दिन तक मासिक आधार पर रिपोर्ट किए जाएंगे ।
2. यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती ।
*प्रत्येक संविदा के लिए कीमत पृथक् रूप से दी जानी है ।

प्ररूप IV- जे

अंतर-राज्यिक बाजार में विद्युत व्यापारियों द्वारा निष्पादित आवर दि काउंटर (ओटीसी) संविदाओं के ब्यौरे

संविदा सप्ताह	से	तक
	दिन/मास/वर्ष	दिन/मास/वर्ष

क्रम सं.	संविदा तारीख	क्रय कीमत	विक्रय कीमत	संविदागत मात्रा	संविदा की अवधि		निम्नलिखित से क्रय		निम्नलिखित को विक्रीत	
	दिन/मास/वर्ष	(रू./केडब्ल्यूएच)	(रू./केडब्ल्यूएच)	(एमयू)	ऊर्जा अनुसूची आरंभिक तारीख (दिन /मास/वर्ष)	ऊर्जा अनुसूची अंतिम तारीख (दिन /मास/वर्ष)	नाम	राज्य	नाम	राज्य
क	चौबीस घंटे									
1										
2										
ख	व्यस्ततम									
1										
2										
ग	आरटीसी तथा व्यस्ततम से भिन्न									
1										
2										

टिप्पणः आयोग की स्वप्रेरणा याचिका सं. 155/2010 तारीख 14.5.2010 के आदेश के अनुसार आरंभ किए गए तथा अगले सप्ताह के मंगलवार तक साप्ताहिक आधार पर रिपोर्ट किए जाने हैं ।

3873 GI/12-6